दामोदर वैली कॉर्पोरेशन

बनाम

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग एवं अन्य

दिसंबर 3 , 2018

[मुख्य न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, संजय किशन कौल और के0 एम 0 जोसेफ, न्यायमूर्तिगण]

दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948: धारा 38–शुल्क की गणना–पूंजी पर ब्याज का लाभ–धारा 38 के तहत लाभ के लिए दावा इस आधार पर कि यद्यपि ऋण भाग पर ब्याज दिया गया था और उसके ऊपर भी इक्विटी पर वापसी मानक इक्विटी भाग पर सुनिश्चित की गई थी, धारा 38 अनुसार अपीलार्थी पूरी राशि पर पूंजी पर ब्याज के लाभ का हकदार था– अपीलीय न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि डीवीसी अधिनियम में भाग लेने वाली सरकारों द्वारा योगदान की जाने वाली पूंजी पर ब्याज का प्रावधान है और अधिनियम के तहत, यदि भाग लेने वाली सरकारों द्वारा योगदान की जाने वाली पूंजी में कोई कमी है, तो इसे भाग लेने वाली सरकारों की ओर से ऋण लेकर पूरा किया जाना चाहिए और ऐसा ऋण ब्याज आकर्षित करेगा–देय पुनर्भुगतान की औसत ब्याज दर 50:50 मानक ऋण पूंजी पर लागू की जानी है जिसका अर्थ है कि भंडार सहित कुल इक्विटी में से, 50:50 के मानक ऋण अनुपात पर विचार करते हुए इक्विटी विनियमों में निर्दिष्ट इक्विटी पर वापसी के लिए पात्र होगा और इक्विटी 14 प्रतिशत इक्विटी आय अनुपात से अधिक है तो इक्विटी को ब्याज वहन करने वाले ऋण के रूप में माना जाएगा–रिमांड के आधार पर, आयोग ने अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्देशानुसार ऋण इक्विटी अनुपात का निर्धारण किया – इस प्रकार, अपीलार्थी को पहले से ही टैरिफ विनियमन के संदर्भ में इक्विटी पर वापसी ऋण इक्विटी अनुपात के आधार पर की गई थी जो अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा एक अनुपात पर निर्धारित किया गया था जो पक्षों के बीच अंतिम हो गया था–बिजली अधिनियम, 2003।

दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948: संचयी मूल्यह्रास को ऋण के पुनर्भुगतान के रूप में मानने और इस तरह पूंजीगत लागत में अनुमानित ऋण घटक को कम करने के लिए दावा–उक्त याचिका को अपील के पहले दौर में मुकदमे में नहीं लिया गया था।

अपीलीय प्राधिकरण–अपीलीय न्यायाधिकरण का पहला आदेश अंतिम बन गया है रिमांड के अनुसार पारित आदेश की अपील में मामले को फिर से नहीं खोला जा सकता है

भास्कर श्राची अलॉयज लिमिटेड और अन्य वी. दामोदर

घाटी निगम और अन्य **(2018) 8 एस. सी. सी. 281**; *दिल्ली विद्युत नियामक बनाम बी एस ई एस यमुना पावर लिमिटेड और अन्य* **(2007) 3 एस. सी. सी. 33:[2007] 2 एस सी आर 747–संदर्भित**

न्यायदृष्टांत संदर्भ

(2018) 8 एस. सी. सी. 281	**संदर्भित किया गया है**	**पैरा 4**
[2007] 2 एससीआर 747	**संदर्भित किया गया है**	**पैरा 8**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 4881 2010 से।

2009 की अपील सं. 146 में विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्णय और आदेश दिनांक 10.05.2010 से ।

एम. जी. रामचंद्रन, के. वी. मोहन, सुश्री अनुश्री बर्धन, सुश्री पूर्वा सहगल, शुभम आर्य, अधिवक्ता अपीलार्थी के लिए।

ए. एन. एस. नाडकर्णी, ए. एस. जी., बसावा प्रभु पाटिल, वरिष्ठ अधिवक्ता , पुखरंबम रमेश कुमार, के. अमृत कुमार शर्मा, राजीव यादव, राजीव शंकर द्विवेदी, सुश्री आरती द्विवेदी, एस. के. सरकार, निखिल नय्यर, एन. साई विनोद, धनंजय बैजल, दिव्यांशु राय, नवीन हेगड़े, हीरेन दासन, हरीश दासन, चांद कुरैशी, श्रीमती सरला चंद्र, मोहन प्रसाद गुप्ता, लिज़ मैथ्यू, सचिन शर्मा, ए. के. वर्मा, जी. एस. मक्कर, अनिल के. झा, सुश्री शर्मिला उपाध्याय, पार्थ सिल, अरविंद कुमार शर्मा, सौरभ मिश्रा, अभिषेक सिंह, सुनील कुमार जैन, देवाशीष भरुका, अभिजीत सेनगुप्ता, अधिवक्ता उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

के. एम. जोसेफ, जे.

1. विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 125 (इसके बाद '2003 का अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के तहत की गई इस अपील द्वारा, अपीलार्थी केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (जिसे इसके बाद 'आयोग' के रूप में संदर्भित किया गया है) के आदेश के विरुद्ध अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश को चुनौती देना चाहता है।

पृष्ठभूमि तथ्य

2. अपीलार्थी दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 (इसके बाद 'डी. वी. सी. अधिनियम' के रूप में संदर्भित)के अधीन गठित एक वैधानिक निकाय है। इसे विभिन्न प्रकार के कार्य सौंपे गए थे। इसे सौंपे गए कार्यों में से एक यह था कि यह पनबिजली और तापीय दोनों विद्युत ऊर्जा के उत्पादन, संचरण और वितरण के लिए कर्तव्यबद्ध था। दामोदर नदी और उसकी सहायक नदियों में बाढ़ नियंत्रण के अलावा सिंचाई, जल आपूर्ति और जल निकासी के लिए योजनाओं को संचालित करने के लिए भी कहा गया था। डी. वी. सी. अधिनियम की धारा 20 के तहत कार्रवाई करते हुए, अपीलकर्ता उस बिजली के लिए शुल्क तय कर रहा था जो वह पैदा कर रहा था और अपने उपभोक्ताओं को भेज रहा था। 2003 में विद्युत अधिनियम के अधिनियमन के साथ, आयोग द्वारा अपीलार्थी के शुल्क के निर्धारण की स्वतः संज्ञान कार्यवाही की गई थी। दिनांक 29.3.2005 के आदेश के अनुसार, अपीलार्थी ने 2004 से 2009 की अवधि के लिए अपने शुल्क के निर्धारण के लिए याचिका क्रमांक 66/2005 दायर की। दिनांक 3.10.2006 के आदेश द्वारा, आयोग शुल्क निर्धारित करने के लिए आगे बढ़ा। आयोग ने उन विविध कार्यों पर ध्यान दिया जिन्हें अपीलार्थी को सौंपा गया था। इसका मामला यह है कि यह अपने शुल्क के निर्धारण के लिए एक लागत प्लस नीति का पालन कर रहा था और साथ ही 1.04.2004 se 2003 के अधिनियम के तहत शुल्क लागू करने से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों पर भी ध्यान दिया गया। यह आदेश दिया गया था कि आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क 2005–2006 से लागू होगा और इसे 1.4.2006 से संचालित किया जाना था। आयोग ने एक सदस्यीय आयोग भी नियुक्त किया था। इसके अलावा आयोग ने डीवीसी अधिनियम की धारा 14 के चौथे परंतुक के दायरे की सराहना की और पाया कि डी. वी. सी. अधिनियम के प्रावधान जो 2003 के अधिनियम के साथ असंगत नहीं थे, 2003 के अधिनियम के अधिनियमन के बाद भी लागू रहेंगे भले ही डी. वी. सी. अधिनियम और 2003 के अधिनियम के तहत बनाए गए विनियमन के बीच विसंगति थी, डी. वी. सी. अधिनियम जारी रहेगा। इस संबंध में कानूनी स्थिति को तय करने के बाद, आयोग उन तत्वों से संबंधित विभिन्न विवादों पर निर्णय करने की ओर से अग्रसर हआ जो शुल्क का गठन करने वाले थे।

3. इस आदेश को अपीलार्थी द्वारा विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती दी गई। उपभोक्ताओं द्वारा याचिकाएं भी दायर की गई थीं। दिनांक 23.11.2007 के आदेश द्वारा अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपीलार्थी द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया और निम्नानुसार आदेश दियाः

"उपरोक्त विषय को ध्यान में रखते हुए, 3 अक्टूबर 2006 को पारित केंद्रीय आयोग के विवादित आदेश के विरुद्ध अपील क्रमांक 273/2006 को इस निर्णय में वर्णित सीमा तक अनुमति दी गई है और हम केंद्रीय आयोग

को ऊपर दिए गए हमारे निष्कर्षों और टिप्पणियों के संदर्भ में और कानून के अनुसार आदेश दिनांक 3 अक्टूबर, 2006 के शुल्क आदेश पर *de Novo* विचार हेतु प्रेषित करते हैं "तदनुसार 2006 की अपील क्रमांक 271,272 और 275 और 2007 की क्रमांक 08 का निपटान किया जाता है।"

4. अपीलीय न्यायाधिकरण के मामले को विचार के लिए वापस भेजने के उक्त आदेश के अनुपालन में एक संशोधित शुल्क आदेश आयोग द्वारा दिनांक 6.8.2009 पर पारित किया गया। दिनांक 6.8.2009 के आदेश को अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपीलार्थी द्वारा आक्षेपित किया गया और उक्त अपील खारिज कर दी गई। यह अपीलीय न्यायाधिकरण का आदेश है जिसे वर्तमान अपील में चुनौती दी गई है। इस मोड़ पर यह ध्यान दिया जा सकता है कि अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले आदेश दिनांक 23.11.2007 को अपीलार्थी के कुछ उपभोक्ताओं द्वारा इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। उन अपीलों पर पहले विचार किया गया था और उन्हें इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था और उक्त निर्णय इस न्यायालय के भास्कर श्राची अलॉयज लिमिटेड और अन्य 2018 (8) एस सी सी 281 के मामले में बताया गया है। यह न्यायालय अपीलीय न्यायाधिकरण से सहमत था कि 2003 के अधिनियम की धारा 14 के चौथे परंतुक का प्रभाव डी. वी. सी. अधिनियम में निहित कुछ प्रावधानों के निरंतर अनुप्रयोग को स्वीकार करना था जो 2003 के अधिनियम के साथ असंगत नहीं थे। इस न्यायालय ने यह भी विचार व्यक्त किया कि अपीलकर्ता बिजली के उत्पादन, संचरण और वितरण के अलावा अधिनियम के तहत कुछ सामाजिक सुरक्षा/लाभकारी मामलों जैसे कि बाढ़ नियंत्रण, मिट्टी के कटाव पर नियंत्रण, वनीकरण, नौवहन, सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना आदि करने के लिए बाध्य है, अस्थायी अवधि के अनुदान में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। यह दोहराया गया कि डी. वी. सी. अधिनियम के प्रावधानों का भी शुल्क नियमों के असंगत प्रावधानों पर अधिभावी प्रभाव पड़ेगा।

वर्तमान आवेदन में विवाद

5. अपीलार्थी के विद्वान वकील श्री एम. जी. रामचंद्रन ने अपनी दो दलील प्रस्तुत कर अपील के दायरे को सीमित कर दिया है –पहली शिकायत जो उठाई गई है वह यह है कि आयोग और अपीलीय न्यायाधिकरण दोनों ने शुल्क पर गणना में अपीलार्थी को डीवीसी अधिनियम की धारा 38 का लाभ नहीं दिया है। दूसरा विवाद संचयी मूल्यह्रास को ऋण के पुनर्भुगतान के रूप में 31.3.2006 के रूप में मानने के सवाल से संबंधित है और इस तरह ऋण इक्विटी अनुपात को लागू करने के बाद पूंजी लागत में काल्पनिक ऋण घटक को कम करता है। जाहिर तौर पर उसी से संबंधित कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार हैः

"क्या अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपीलार्थी के पूंजी पर ब्याज के दावे के संबंध में डीवीसी अधिनियम की धारा 38 के प्रावधानों की सही व्याख्या की है और उन्हें लागू किया है, बावजूद इसके कि पहले पारित आदेश दिनांक 23.11.2007, अपील No.273/ 2006 में इस पर विचार किया गया था और इसकी अनुमति देने का निर्देश दिया गया था?

क्या दिनांक 31.3.2006 तक की अवधि के दौरान ऋण पुनर्भुगतान के समायोजन के रूप में पुनर्प्राप्त संचयी मूल्यह्रास को बराबर करने के केंद्रीय आयोग के आदेश को मंजूरी देने में अपीलीय न्यायाधिकरण का निर्णय, दिल्ली विद्युत नियामक आयोग बनाम बी. वाई. पी. एल. लिमिटेड के मामले में इस माननीय न्यायालय के निर्णय के और स्वयं अपीलीय न्यायाधिकरण का निर्णय दिनांक 16.3.2009, अपील सं.133/08, 135/08, 136/08 और 148/08 एवं आदेश दिनांक 13.6.2007, 2006 के अपील No.139 से लेकर 142 आदि में पारित निर्णय और आदेशों के विपरीत नहीं है? "

6. डी. वी. सी. अधिनियम की धारा 38 इस प्रकार हैः

"38. ब्याज का भुगतान–निगम प्रत्येक प्रतिभागी सरकार द्वारा प्रदान की गई पूंजी की राशि पर उस दर पर ब्याज का भुगतान करेगा जो केंद्र सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाए और ऐसे ब्याज को निगम के व्यय का हिस्सा माना जाएगा।

7. अपीलार्थी का मामला यह है कि इस न्यायालय ने भास्कर श्राची अलॉयज लिमिटेड व अन्य बनाम दामोदर घाटी निगम और अन्य 2018 (8) SCC 281 के फैसले में 2003 के अधिनियम और विनियमों के पारित होने के बावजूद अपीलार्थी को धारा 38 उपलब्ध होने की मंजूरी दी है। अपीलार्थी पूँजी पर ब्याज पाने का हकदार है। अपीलार्थी का मामला यह है कि धारा 38 के तहत पूंजी पर ब्याज की अनुमति अपीलार्थी को अन्य प्रशुल्क तत्वों के अलावा दी जानी चाहिए, जिसमें ऋण पर ब्याज, इक्विटी पर वापसी आदि शामिल हैं, जो प्रशुल्क विनियमन के तहत अनुमेय हैं। अपीलार्थी इंगित करेगा कि पूँजी पर ब्याज को मानक ऋण पर ब्याज सहित ऋण पर ब्याज के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए। यह तर्क दिया जाता है कि पूंजी पर ब्याज ऋण पर ब्याज या इक्विटी पर रिटर्न से एक अलग तत्व है। उत्तरदाताओं का यह तर्क कि आयोग द्वारा पूंजी पर ब्याज पर भी विचार किया जा रहा है, स्पष्ट रूप से गलत बताया गया है क्योंकि यह बताया गया है कि यह पहलू केंद्रीय आयोग द्वारा अपील का विषय था जिससे इस न्यायालय का निर्णय हुआ और इस न्यायालय ने धारा 38 के तहत ब्याज के

तत्व की उपलब्धता की पुष्टि की। आयोग द्वारा पारित दूसरे आदेश में प्रतिप्रेश्रण के अनुसरण में यह तर्क दिया गया कि धारा 38 के तहत पुंजी पर किसी भी ब्याज का कोई संदर्भ नहीं है, जो नहीं दिया गया है और अपीलकर्ताओं को इसका हकदार माना जाना चाहिए ।

8. अनुमानित ऋण से संचयी मूल्यह्रास को कम करने, के दूसरे तर्क के संबंध में अपीलार्थी का यह मामला है कि शुल्क के तहत जो सेवा दी जाती है वह ऋण पर ब्याज है न कि ऋण का पुनर्भुगतान। वित्तीय वर्ष के दौरान बकाया राशि पर ब्याज की गणना की जाती है जब ऋण प्रगतिशील तरीके से चुकाया जाता है तब ऋण कम हो जाता है और इसलिए ऋण के लिए टैरिफ में दी जाने वाली ब्याज की राशि कम कम हो जाती है। 2003 के अधिनियम के अधिनियमन और 1.4.2006 तक अनुमति दी गई संक्रमण अवधि तक, पूरी पूंजी लागत को अकेले इक्विटी के रूप में माना जाना चाहिए। ऋण नहीं हो सकता है और इसलिए ऋण का पुनर्भुगतान या ऋण में क्रमिक कमी नहीं हो सकती है, जिससे ऋण पर ब्याज के माध्यम से बकाया ऋण को कम किया जा सके। यह तर्क दिया जाता है कि ये निहितार्थ 1.4.2006 से होंगे। डी. वी. सी. अधिनियम की धारा 30 और 32 का संदर्भ दिया गया है। यह तर्क दिया जाता है कि डी. वी. सी. की पूरी पूंजी को इक्विटी के रूप में माना जाना था। 1.4.2006 पर पूंजीगत लागत को सकल अचल संपत्ति की कुल राशि माना जाना चाहिए था। इस लागत को 30.3.1992 से पहले स्थापित उत्पादन परियोजना के लिए 50:50 की दर पर और 30.03.1992 के बाद स्थापित उत्पादन परियोजना के लिए 70:30 की दर पर ऋण और इक्विटी में विभाजित किया जाना था । न्यायाधिकरण ने यह मानने में गलती की थी कि 1.4.2006 से पहले के वर्षों में उपरोक्त ऋण का पुनर्भुगतान पूर्व में परिसंपत्तियों के संचयी मूल्यह्रास के आधार पर माना गया था। 01.04.2004 से 31.03.2009 की अवधि के लिए 2004 का शुल्क विनियमन हालांकि प्रासंगिक है, लेकिन ऋण के पुनर्भुगतान के लिए संचयी मूल्यह्रास के ऐसे किसी भी समायोजन का प्रावधान नहीं करता है। इस संबंध में, अपीलार्थी एनटीपीसी के मामले में अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशों पर निर्भर करता है, जिसमें यह विचार रखा गया था कि संचयी मूल्यह्रास को ऋण का मानित पुनर्भुगतान नहीं माना जा सकता है। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग बनाम बी. एस. ई. एस. यमुना पावर लिमिटेड और अन्य 2007(3)SCC 33 के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भी इस प्रस्ताव के लिए संदर्भ दिया गया है कि मूल्यह्रास ऋण का पुनर्भुगतान नहीं है और इसलिए संचयी मूल्यह्रास से ऋण की मात्रा को कम नहीं किया जा सकता है। फिर भी यह बताया गया है कि आयोग ने संचयी मूल्यह्रास की अवधारणा को लागू किया है जिसके परिणामस्वरूप 31.3.2006 से पहले की अवधि के लिए मानित पुनर्भुगतान किया गया है, जो अस्वीकार्य है।

उत्तरदाताओं का विवाद

9. जहाँ तक उत्तरदाताओं का संबंध है,न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश का वे समर्थन करेंगे। अपीलार्थी की शिकायत के संबंध में कि धारा 38 के तहत पूंजी पर ब्याज लागू नहीं किया गया था, इस अदालत ने यह भी कहा कि धारा 38 का संचालन जारी रहेगा, यह तर्क दिया जाता है कि वास्तव में अपीलार्थी को पूंजी पर ब्याज का लाभ दिया गया है। यह प्रत्यर्थी का मामला है कि अपीलार्थी जो मांग रहा है वह दोहरे लाभ का अनुदान है।यह इंगित किया गया है कि अधिकारियों ने पहले ही 50:50 के ऋण इक्विटी अनुपात के आधार पर, 50 प्रतिशत के ऋण घटक पर ब्याज के रूप में अपीलार्थी को वापसी की गणना की है और इक्विटी भाग पर अपीलार्थी को इक्विटी वापसी के लिए भी आश्वासन दिया है। अपीलार्थी जो मांग रहा है वह धारा 38 के आधार पर पूरी पूंजी पर अतिरिक्त ब्याज है जो अनुज्ञेय नहीं है।

10. जहां तक ऋण में कमी के लिए संचयी मूल्यह्रास की अनुपलब्धता से संबंधित मुद्दा है, तो यह तर्क दिया गया है कि अपीलार्थी ने अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील में मुकदमे के पहले दौर में इस तर्क को नहीं लिया। 10 दलीलें पहले दौर में अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष ली गईं। 5 दलीलों के संबंध में, अपीलीय न्यायाधिकरण अपीलार्थी की शिकायत से सहमत हो गया और आदेश में निहित टिप्पणियों के अनुसार मामले को नए सिरे से विचार के लिए वापस भेज दिया गया। 5 अन्य मुद्दों के संबंध में, अपीलार्थी के खिलाफ मामले का निर्णय लिया गया था। अपीलार्थी द्वारा आगे कोई अपील नहीं की जाती है। इसलिए, अपीलीय न्यायाधिकरण का पहला आदेश अंतिम हो गया है, विशेष रूप से, अपील खारिज होने के बाद, जो अपीलार्थी द्वारा नहीं बल्कि प्रत्यर्थियों द्वारा की गई थी, जो भास्कर श्राची अलॉयज लिमिटेड और अन्य बनाम दामोदर घाटी निगम और अन्य 2018 (8) SCC 281 के मामले में रिपोर्ट की गई है। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि एनटीपीसी के मामले में अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश अपीलार्थी की दलीलों को स्वीकार नहीं करते हैं। यह उनका आगे का तर्क है कि आयोग द्वारा पारित पहला आदेश दिनांक 03.10.2006 है, जिसके अंतर्गत आयोग ने ऋण को कम करने और इसके परिणामस्वरूप ऋण पर ब्याज को कम करने के लिए संचयी मूल्यह्रास का उपयोग किया था। अपीलार्थी ने आयोग द्वारा नियोजित कार्यप्रणाली के खिलाफ शिकायत नहीं की थी। जो मामले अंतिम हो गए हैं, उन्हें रिमांड के अनुसार पारित आदेश की अपील में फिर से खोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

चर्चा और निष्कर्ष

11. 2003 के अधिनियम की धारा 125 के तहत अपील की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न हों। हम भास्कर श्रची अलॉयज लिमिटेड एंड ओआरएस बनाम दामोदर घाटी निगम और अन्य 2018 (8) SCC 281 में रिपोर्ट किए गए पक्षों के बीच पूर्ववर्ती अपीलों के आदेश में इस न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को भी ध्यान में रख सकते हैं, अर्थात्, "उपरोक्त कानून की घोषणा के परिप्रेक्ष्य में मामले पर विचार करने के बाद हमें अपीलार्थी की शिकायत की जांच करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए कि क्या अपीलीय न्यायाधिकरण का दृष्टिकोण मौलिक रूप से त्रुटिपूर्ण है और इसलिए अपीलार्थी के मामले में योग्यता है।

12. हम पहले ही डी. वी. सी. अधिनियम की धारा 38 का उल्लेख कर चुके हैं। इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि 2003 के अधिनियम के अधिनियमन के बावजूद धारा 38 डी. वी. सी. अधिनियम बनी रहेगी। दूसरे शब्दों में, यह विवाद के क्षेत्र में नहीं हो सकता है कि अपीलार्थी उस शुल्क की गणना में धारा 38 के तहत पूंजी पर ब्याज का हकदार होगा, जिसे अपीलार्थी को अपने उपभोक्ताओं से लेने की अनुमति है। हालाँकि, सवाल यह है कि क्या अपीलार्थी को वास्तव में डीवीसी अधिनियम की धारा 38 के तहत पूंजी पर ब्याज का लाभ दिया गया है।

इस प्रश्न पर विचार करने के लिए, हमारे लिए आयोग और अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा भी पारित किए गए आदेश पर विचार करना आवश्यक है । आयोग द्वारा पारित आदेश दिनांक 3.10.2006 जो उसके द्वारा पारित पहला आदेश था, ने 3146.01 करोड़ रुपये की कुल पूंजीगत लागत के संबंध में एक सदस्य पीठ की सिफारिशों को संदर्भित किया 3146.01 करोड़ और जहां तक परिसंपत्तियों के उत्पादन का संबंध है, उसी को स्वीकार करने का निर्णय लिया। आयोग ने 70: 30 ऋण इक्विटी अनुपात को भी स्वीकार किया जिसकी सिफारिश एक सदस्य आयोग द्वारा की गई थी। इसने 2004 के विनियमों के संदर्भ में इक्विटी पर प्रतिफल का उल्लेख किया और 14 प्रतिशत पर इक्विटी पर प्रतिफल की दर को अपनाया जिसे ऋण इक्विटी अनुपात के संदर्भ में पूंजी लागत के 30 प्रतिशत पर अनुमति दी गयी है। इसके बाद आयोग ने ऋण पर ब्याज पर विचार किया। इस मामले को 2004 के विनियमों के तहत निपटाया गया था। संबंधित विनियमन को निकालने के बाद, आयोग ने यह विचार किया कि मानक ऋण 31.03.2004 को व्यक्तिगत स्टेशन के लिए बकाया मानक ऋण की गणना भारित औसत ब्याज दर के साथ पूंजीगत लागत पर 70:30 के मानक ऋण–इक्विटी अनुपात को लागू करके की जानी थी । इसके बाद आयोग, वास्तव में, 30.03.2004 के अनुसार संचयी मूल्यह्रास या काल्पनिक ऋण राशि, जो भी कम हो, को ऋण पुनर्भुगतान के रूप में लिए जाने वाले संचयी मूल्यह्रास या काल्पनिक ऋण राशि, जो भी कम हो, को ऋण पुनर्भुगतान के रूप में लिया जाता है और इसे तब तक चुकाने की अनुमति दी जाती है । इसके बाद ब्याज की भारित

औसत दर आई जैसा कि इसके आदेश के पैराग्राफ 57 में तालिका में दिखाया गया है और विभिन्न परियोजनाओं के लिए ऋण दिया गया था।

13. इस आदेश के खिलाफ अपीलकर्ता ने अपील की थी। याचिका दिनांकित 23.11.2007 आदेश में समाप्त हुयी। आइए हम इस बात की जांच करें कि अपीलीय न्यायाधिकरण ने डीवीसी अधिनियम की धारा 38 के आधार पर अपीलार्थी की शिकायत के बारे में क्या कहा। मुख्य आदेश तकनीकी सदस्य द्वारा लिखा गया था, जिसके साथ अध्यक्ष ने अलग से निर्णय में सहमति व्यक्त की थी।

14. ऋण इक्विटी अनुपात जो आयोग द्वारा 70 :30 पर निर्धारित किया गया था usse 1992 से पहले चालू की गई परियोजनाओं के संबंध में 50:50 में बदल दिया गया था और MEJIA जैसी हाल की परियोजनाओं के संबंध में, उन्हें 70:30 में विनियमों में निर्दिष्ट पूंजी संरचना के साथ जोड़ा जाना था । हम निम्नलिखित निष्कर्षों का भी उल्लेख कर सकते हैं:

"A–9। अपीलार्थी ने तर्क दिया है कि डी. वी. सी. को पश्चिम बंगाल और झारखंड के राज्य के सामाजिक कार्यों का समर्थन करने के लिए मानित राज्य के कार्यों के साथ बनाया गया है, यह बड़े पैमाने पर सार्वजनिक हित की सेवा करता है और इसलिए, क़ानून के अनुसार इक्विटी पूंजी का प्राथमिक स्रोत रहा है। इसने आगे कहा है कि व्यावसायिक जोखिम, वित्तीय जोखिम, आदि बड़े पैमाने पर मालिक सरकारों द्वारा वहन किए जाते है इसलिए जोखिम और वापसी के मौलिक सिद्धांतों के अनुसार पूंजी निवेश के अपने पूरे हिस्से पर वापसी के हकदार हैं।

A–10। यह सच है कि मालिक व्यवसाय से संबंधित जोखिमों को स्वयं उठाते हैं और पूंजी निवेश के अपने हिस्से पर लाभ के हकदार होते हैं। लेकिन वापसी कानून को मौजूदा कानून के अनुसार बिजली की आपूर्ति के लिए शुल्क के निर्धारण की योजना द्वारा नियंत्रित की जानी है। इस योजना में बिजली की आपूर्ति के उद्देश्य से तैनात इक्विटी पर 14 प्रतिशत की दर से टैरिफ विनियमों के तहत अनुमेय आर.ओ. ई. का प्रावधान है। यह योजना बिजली की आपूर्ति के अलावा अन्य परियोजनाओं पर किए गए निवेश पर प्रतिफल की अनुमति नहीं देती है, जिसे बिजली की आपूर्ति के लिए शुल्क के माध्यम से वसूल किया जा सकता है।

A–13। कुछ उत्तरदाताओं ने प्रस्तुत किया है कि "डीवीसी अधिनियम की धारा 30,31 और 38 का संयुक्त अध्ययन स्पष्ट रूप से यह इंगित करता है कि "*डी. वी. सी. अधिनियम के अनुसार परियोजनाओं पर निवेश की गई पूरी पूंजी ऋण पूंजी है और ब्याज व्यय का एक हिस्सा है। डीवीसी अधिनियम के तहत किसी भी इक्विटी पूंजी का कोई प्रावधान नहीं है।*

A–14 डी. वी. सी. अधिनियम में भाग लेने वाली सरकारों द्वारा पूंजी निवेश और उस पर ब्याज का भुगतान करने का प्रावधान है। डी. वी. सी. अधिनियम ऐसी पूंजी को उधार के रूप में वर्गीकृत नहीं करता है और भाग लेने वाली सरकारों को ऐसी पूंजी के पुनर्भुगतान के बारे में कोई संदर्भ नहीं है। यह मान लेना मुश्किल है कि एक वाणिज्यिक संगठन पूरी तरह से उधार ली गई धनराशि पर चल रहा है। ऋणदाता हमेशा उधारकर्ता द्वारा निवेश किए जाने वाले मार्जिन धन निर्धारित करते हैं। हमारी राय में भाग लेने वाली सरकारों द्वारा निवेशित पूंजी इक्विटी पूंजी की प्रकृति में होती हैं और टैरिफ के निर्धारण के उद्देश्य से, वे इक्विटी पर रिटर्न के लिए पात्र होंगी, जैसा कि टैरिफ विनियम 2004 द्वारा अनुमति दी जा सकती है।

A–15 यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि डी वी सी भाग लेने वाली सरकारों द्वारा योगदान की गयी पुंजी पर ब्याज प्रदान करता है । अर्जित ब्याज को डी. वी. सी. द्वारा अपने पास रखने की अनुमति दी गई है और इसे भाग लेने वाली सरकारों की मौन सहमति से वापस पुंजी में लगा दिया गया है । जुताई जाता है। डी. वी. सी. अधिनियम धारा 38 के प्रावधानों के अनुसार डी. वी. सी. को प्रदान किया जाना है

A–16। यह देखा गया है कि डी. वी. सी. अधिनियम में परियोजनाओं को केवल सहभागी सरकारों द्वारा योगदान की गई पूँजी पर ही निर्माण की परिकल्पनाकी गयी है और पूँजी राशि में किसी भी कमी को सहभागी सरकार की ओर से ऋण लेकर पूरा किया जाना चाहिए। लिया गया ऋण स्पष्ट रूप से ब्याज को आकर्षित करेगा। शुल्क वर्ष के दौरान देय पुनर्भुगतान की औसत ब्याज दर प्रशुल्क उद्देश्यों के लिए 50:50 मानक ऋण पूंजी पर लागू की जानी है । इसका मतलब यह होगा कि भंडार सहित कुल इक्विटी में से, 50:50 के मानक ऋण इक्विटी अनुपात पर विचार करते हुए इक्विटी शुल्क विनियमों में निर्धारित दरों पर आर.ओ.ई. के लिए पात्र होगा और 14 प्रतिशत की दर से आर. ओ. ई. अर्जित करने वाली इक्विटी पर यदि कोई अधिक हिस्सेदारी है तो वह ब्याज देने वाला ऋण होगी । उदाहरण के लिए, यदि वास्तविक ऋण इक्विटी अनुपात 40:60 पर आता है तो आर. ओ. ई. इक्विटी के 50 प्रतिशत हिस्से पर उपलब्ध होगा और ब्याज इक्विटी के 10 प्रतिशत हिस्से पर उपलब्ध होगा और इक्विटी के 10 प्रतिशत हिस्से पर ब्याज और 40 प्रतिशत ऋण उपलब्ध होगा जैसा कि पुनर्भुगतान द्वारा घटाया गया है।

पैराग्राफ ई–13 पर ध्यान देना भी प्रासंगिक है और वह इस प्रकार है:

"ई–13 जहां तक भाग लेने वाली सरकारों में से प्रत्येक द्वारा प्रदान की गई पूंजी पर ब्याज के कारण डीवीसी अधिनियम की धारा 38 के तहत उत्पन्न होने वाले दायित्व का संबंध है, हमें यह ध्यान रखना होगा कि सेवा की

जाने वाली कुल पूंजी परिचालन परिसंपत्तियों के मूल्य के बराबर होनी चाहिए जब उन्हें पहली बार वाणिज्यिक उपयोग में लाया जाता है। इसके बाद, पुनर्भुगतान के कारण ऋण घटक कम हो जाता है, जबकि इक्विटी राशि स्थिर रहती है। शुल्क विनियम 2004 के अनुसार शुल्क का निर्धारण की योजना के अनुसार वसूली दो रूपों में होता है; या तो आर. ओ. ई. के माध्यम से या ऋण पर ब्याज के रूप में। हम केंद्रीय आयोग को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं कि परिचालन परिसंपत्तियों के वित्तपोषण में तैनात परिसंपत्तियों को या तो इक्विटी पर रिटर्न या ऋण पर ब्याज (जिसमें इक्विटी भाग भी शामिल है जो रिटर्न के लिए पात्र इक्विटी के हिस्से के रूप में शामिल नहीं है) के माध्यम से पूरी तरह से सेवा प्रदान की जा रही है ।

<u>अपीलीय न्यायाधिकरण के पूर्व आदेश की परिकल्पना में आयोग द्वारा दिनांक 6.8.2009 को आदेश पारित किया गया</u>

15. दिनांक 6.8.2009 के आदेश के पैराग्राफ 38 में, आयोग ने पूंजी पर रिटर्न, ऋण पर ब्याज और सामान्य परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास की गणना कि और प्रत्येक उत्पादक उत्पादन स्टेशनों/पारेषण प्रणाली को पूंजी लागत के संदर्भ में विभाजित किया जाता है जो पहले से ही 31.03.2004 पर आवंटित है। यह कथित रूप से अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा अपने दिनांक 23.11.2007 के आदेश के पैराग्राफ 1.3 और 1.4 में जो कहा गया था, उसके संदर्भ में किया गया है। पैराग्राफ 37 इस प्रकार हैः

"1.3 . उपरोक्त प्रक्रिया के साथ यह सच है कि उपरोक्त सुविधाओं के संचालन और रखरखाव की लागत की वसूली की जाएगी, लेकिन मूल्यह्रास और संबंधित इक्विटी पर रिटर्न के रूप में पूंजीगत लागत की वसूली, ऋण पर ब्याज, यदि कोई हो, बिना किसी औचित्य के छूट जाएगी।

1.4 . हमारा मानना हैं कि एक बार आयोग इन परिसंपत्तियों को उत्पादन और संचरण गतिविधियों के हिस्से के रूप में मानने के लिए सहमत अपने O & M लागत की वसूली की अनुमति देकर हो गया है तब उचित विवेक जांच के बाद, इन परिसंपत्तियों को भी पूंजी लागत और इसके शुल्क निर्धारण के माध्यम से परिणामी प्रभाव दिया जाना चाहिए।

16. 1.4.2004 पर कुल पूंजी लागत Rs.314601 लाख के रूप में दिखाई गई है। पैराग्राफ 35 में 2004–05 और 2005–06 के लिए अनुमत अतिरिक्त पूंजीकरण की गणना की गई है कुल औसत पूंजी Rs.322797 लाख 2004–05 और 2005–06 के लिए Rs.326786 लाख के रूप में दिखाई गई।

इसके बाद, आयोग ने ऋण इक्विटी अनुपात का भी उल्लेख किया। पैराग्राफ ए–8 में अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा तय किया गया है जिसे हमने नए सिरे से निकाला है। आयोग ने 'ऋण पर ब्याज' शीर्षक के तहत वापसी राशि पर काम करना शुरू किया। मिशन ने पैराग्राफ 48 में यही कहा है।

"48. याचिकाकर्ताओ ने प्रस्तुत किया है कि उन्होंने अतिरिक्त पुंजीकरण के व्यय को पूरा करने के लिए कोई ऋण नहीं लिया है। अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्देशों के अनुरुप अनुमत अतिरिक्त पुंजीकरण और संशोधित ऋण इक्विटी अनुपात और मूल्यह्रास के आधार पर ब्यान ऋण पर ब्याज की भारित औसत दर आयोग के आदेश दिनांक 03/10/2006 के अनुसार मानी गयी है। वर्ष के लिए गणना की गयी मूल्यह्रास को उस वर्ष के दौरान ऋण के पुनर्भुगतान के रुप में माना गया है।

17. अब देखते हैं कि जिस आदेश पर हमारे समक्ष आपत्ति जतायी गयी थी उसमें अपीलीय न्यायाधिकरण ने डीवीसी अधिनियम की धारा 38 के तहत सभी पर ब्याज से संबंधित मुद्दे को कैसे निपटाया गया है। हम पैराग्राफ 70 को नोट कर सकते हैं अपीलीय न्यायाधिकरण निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित करता हैः

70. हमने अपीलार्थी द्वारा आग्रह किए गए उपरोक्त आधारों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, अभिलेखों को देखने पर, सीमित रिमांड आदेश का संचालन इस मुद्दे से भी संबंधित होगा। डी. वी. सी. के संचालन जिन्हें लागू किया जाना है, उन्हें रिमांड ऑर्डर के निम्नलिखित पैराग्राफ में स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया हैः

"ई–13. प्रत्येक प्रतिभागी सरकार द्वारा प्रदान की गई पूंजी पर ब्याज के कारण डीवीसी अधिनियम की धारा 38 के तहत उत्पन्न होने वाले दायित्व के संबंध में हमें यह ध्यान रखना होगा कि सेवा की जाने वाली कुल पूंजी परिचालन परिसंपत्तियों के मूल्य के बराबर होनी चाहिए जब उन्हें पहली बार वाणिज्यिक उपयोग के लिए रखा जाता है। इसके बाद पुनर्भुगतान के कारण ऋण घटक कम हो जाता है जबकि इक्विटी राशि स्थिर रहती है। टैरिफ विनियम 2004 के अनुसार टैरिफ के निर्धारण की योजना के अनुसार, वसूली दो रूपों में होती है, या तो इक्विटी पर रिटर्न के माध्यम से या ऋण पर ब्याज के माध्यम से। हम केंद्रीय आयोग को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं कि वित्तपोषण में पूंजी लगाई जाए या तो परिचालन परिसंपत्तियों को या तो इक्विटी पर रिटर्न या ऋण पर ब्याज (जिसमें इक्विटी भाग शामिल है जो इक्विटी के हिस्से के रूप में इक्विटी के रिटर्न के लिए पात्र नहीं है) के माध्यम से पूरी तरह से सेवा प्रदान की जा रही है ।

18. इसके बाद, अपीलीय न्यायाधिकरण ने निस्संदेह नोट किया कि अपने रिमांड आदेश दिनांक 23.11.2007 में, उसने केंद्रीय आयोग को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि परिचालन परिसंपत्तियों के वित्तपोषण में नियोजित पूंजी या तो इक्विटी पर रिटर्न या ऋण पर ब्याज के माध्यम से पूरी तरह से सेवा प्राप्त कर रही है। अपीलीय न्यायाधिकरण ने आगे कहा कि उक्त आदेश के अनुपालन में आयोग ने नियोजित कुल पूंजी पर ऋण इक्विटी अनुपात की अनुमति दी। इसने विनियमन 21(1)(iii) के संदर्भ में मानक इक्विटी पर 14 प्रतिशत का लाभ भी प्रदान किया अर्थात इक्विटी पर प्रतिफल। आयोग ने मानक प्रकार के ऋण पर ब्याज भी प्रदान किया ।

19. इन आदेशों के आलोक में हमें अपीलार्थी के इस तर्क पर विचार करना चाहिए कि अपीलार्थी के हकदार होने के बावजूद पूंजी पर ब्याज का लाभ इसे 2018 (8) एस. सी. सी. 281 में इस न्यायालय के अंतिम निर्णय के बावजूद लाभ नहीं दिया गया था, जिसमें अपीलीय न्यायाधिकरण के इस विचार को बरकरार रखा गया था कि डी. वी. सी. अधिनियम की धारा 38 अपीलकर्ता–निगम के लाभ के लिए लागू होती रहेगी। दूसरी ओर, प्रतिद्वंद्वी उत्तरदाताओं का तर्क है कि अपीलार्थी द्वारा दावा किए गए डीवीसी अधिनियम की धारा 38 के तहत लाभ के परिणामस्वरूप अपीलार्थी को एक लाभ मिलेगा जो कुल पूंजी पर दावों का दोहराव होगा, मानक ऋण इक्विटी अनुपात को लागू करते हुए, अपीलार्थी को मानक इक्विटी भाग पर पूंजी पर वापसी का लाभ दिया गया है और इसे ऋण भाग पर ब्याज की भी अनुमति दी गई है। दूसरी ओर, अपीलार्थी का मामला यह है कि ऋण भाग पर ब्याज दिए जाने के बाद भी और आक्षेपित आदेश द्वारा मानक इक्विटी भाग पर इक्विटी पर वापसी भी सुनिश्चित की गई है, इसके अलावा, अपीलार्थी पूरी राशि पर पूंजी पर ब्याज का लाभ पाने का हकदार है जैसा कि डी. वी. सी. अधिनियम की धारा 38 के तहत प्रदान किया गया है।

20. अपीलीय न्यायाधिकरण के दिनांक 23.11.2007 के आदेश में इस मामले को 'ऋण इक्विटी अनुपात' शीर्षक के तहत निराकरण किया गया। न्यायाधिकरण ने डी. वी. सी. की सभी पुरानी परियोजनाओं और 50:50 की मानक ऋण इक्विटी के संबंध में अपीलार्थी के मामले को स्वीकार कर लिया जो 1992 से पहले शुरु की गयी थी। मेजिना जैसी हाल की परियोजनाओं के संबंध में, इसे 70:30 का ऋण इक्विटी अनुपात विनियमों में निर्दिष्ट पूंजी संरचना पर सौंपा गया था। यह निष्कर्ष अंतिम हो गया है। अपीलार्थी की ओर से यह तर्क दिया गया कि इक्विटी पूंजी का प्राथमिक स्रोत रहा है। इसके बाद, पैराग्राफ ए–10 में, अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा यह पाया गया कि मालिक स्वयं व्यवसाय से संबंधित जोखिम उठाते हैं और हकदार हैं पूंजी निवेश पर ब्याज के लिए, लेकिन प्रतिफल कानून द्वारा अनिवार्य रूप से बिजली की आपूर्ति के लिए शुल्क के निर्धारण की योजना द्वारा नियंत्रित किया जाना है। अपीलीय न्यायाधिकरण ने आगे कहा कि इस योजना में इक्विटी (आर. ओ. ई.) पर सुनिश्चित रिटर्न का प्रावधान है जो बिजली की आपूर्ति के उद्देश्य से नियोजित इक्विटी पर 14 प्रतिशत की दर से है।

यह योजना बिजली की आपूर्ति के अलावा अन्य परियोजनाओं पर किए गए निवेश पर प्रतिफल की अनुमति नहीं देती है। न्यायाधिकरण ने आगे कहा कि डीवीसी अधिनियम पूंजी को उधार के रूप में मान्यता नहीं देता है और प्रतिभागी सरकारों को ऐसी पूंजी का पुनर्भुगतान के बारे में कोई संदर्भ नहीं है। अपीलीय न्यायाधिकरण यह अभिनिर्धारित करने के लिए आगे बढ़ता है कि भाग लेने वाली सरकारों द्वारा निवेश की गई पूंजी इक्विटी पूंजी की प्रकृति में है और शुल्क के निर्धारण के लिए, वह इक्विटी पर रिटर्न के लिए पात्र होगी लेकिन अपीलीय न्यायाधिकरण यह स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि इक्विटी पर प्रतिफल 2004 के प्रशुल्क विनियमन द्वारा अनुमत किया जा सकता है। इसके बाद यह कि अपीलीय न्यायाधिकरण ने पैरा 15 में यह अभिनिर्धारित किया कि डी. वी. सी. अधिनियम पूंजी पर ब्याज का प्रावधान करता है जिसका योगदान सहभागी सरकारें करती है। सरकार को देय अर्जित ब्याज को स्पष्ट रूप से अपीलार्थी द्वारा बनाए रखने की अनुमति दी गई है। हालाँकि, भाग लेने वाली सरकारों की मौन सहमति से इसे वापस पुंजी में निवेश किया गया । इसके बाद, यह कहा जाता है कि यह डी. वी. सी. अधिनियम की धारा 38 के प्रावधानों के अनुसार डी. वी. सी. को प्रदान किया जाना है। इसके बाद अनुच्छेद ए–16 है जिसे हम पहले ही निकाल चुके हैं, न्यायाधिकरण ने यह मत व्यक्त किया कि डी. वी. सी. अधिनियम के तहत यदि भाग लेने वाली सरकारों द्वारा योगदान की गई पूंजी में कोई कमी है, तो इसे भाग लेने वाली सरकारों की ओर से ऋण लेकर पूरा किया जाना चाहिए। उक्त ऋण ब्याज आकर्षित करेगा। देय पुनर्भुगतान की औसत ब्याज दर 50:50 मानक ऋण पूंजी पर लागू की जानी है। इसका मतलब है कि भंडार सहित कुल इक्विटी में से, 50:50 के मानक ऋण अनुपात पर विचार करते हुए इक्विटी विनियमों में निर्दिष्ट इक्विटी पर प्रतिफल के लिए पात्र होगा और 14 प्रतिशत के इक्विटी आय अनुपात से अधिक इक्विटी, यदि कोई हो, को ब्याज माना जाएगा। दिए गए उदाहरण में यह दिखाया गया है कि यदि ऋण इक्विटी अनुपात 40:60 है, इक्विटी पर 14 प्रतिशत का प्रतिफल 50 प्रतिशत इक्विटी पर उपलब्ध होगा, जबकि ब्याज इक्विटी के 10 प्रतिशत हिस्से पर उपलब्ध होगा और 40 प्रतिशत ऋण जो पुनर्भुगतान द्वारा घटाया गया था।

21. रिमांड के आधार पर आयोग ने अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्देशानुसार ऋण इक्विटी अनुपात तय किया है। इसमें आगे इक्विटी भाग पर 14 प्रतिशत की दर से, अर्थात् 50 प्रतिशत की दर से इक्विटी पर प्रतिफल प्रदान करना है। ऋण भाग के संबंध में, मूल्यह्रास की कटौती के बाद ब्याज की गणना की गई है, जिसकी वैधता अन्य विवाद का विषय है,

जिस पर हम अलग से विचार करेंगे। यह हमारे लिए बिल्कुल स्पष्ट है कि अपीलार्थी को ऋण इक्विटी अनुपात के आधार पर पूंजी के संबंध में प्रशुल्क विनियमन के संदर्भ में इक्विटी पर रिटर्न पहले ही दिया जा चुका है, जिसे अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा एक अनुपात पर तय किया गया है जो पक्षों के बीच अंतिम हो गया है।

22. यद्यपि 23.11.2007 दिनांकित आदेश के पैरा ए–9 के अवलोकन से यह प्रतीत हो सकता है कि इक्विटी को पुंजी का मुख्य स्रोत पाया गया है। अनुच्छेद ए–10, ए–16 और अधिक महत्वपूर्ण रूप से ई–13 के अवलोकन से पता चलता है कि डीवीसी अधिनियम की धारा 38 के तहत पूंजी को परिचालन परिसंपत्तियों के मूल्य के रूप में समझा गया है जब उन्हें पहली बार वाणिज्यिक उपयोग में लाया गया है। पूँजी को न केवल इक्विटी के रूप में समझा जाता है, बल्कि इसे ऋण और इक्विटी दोनों के रूप में भी समझा जाता है। पुरानी परियोजनाओं के संबंध में ऋण और इक्विटी के बीच का अनुपात भी 50:50 पर तय किया गया है और नई परियोजनाओं के तहत यह 70:30 है। अपीलीय न्यायाधिकरण के दिनांक 23.11.2007 के आदेश के पैराग्राफ ई–13 से यह और स्पष्ट है कि अपीलीय न्यायाधिकरण ने विचार किया कि इक्विटी घटक स्थिर रहेगा और यह टैरिफ विनियमन में प्रदान की गई वापसी की दर अर्जित करेगा। जहां तक ऋण घटक का संबंध है, यह पुनर्भुगतान के कारण कम हो जाएगा। इसलिए, विनियमों के तहत विचार के अनुसार वसूली दो रूपों में पाई गई, अर्थात् या तो इक्विटी हिस्से के संबंध में इक्विटी पर वापसी और ऋण घटक घटक पर ब्याज के रूप में।

23. संदेह का केवल एक क्षेत्र बचा है। पैराग्राफ ए–15 में, अपीलीय न्यायाधिकरण ने नोट किया कि भाग लेने वाली सरकारों द्वारा नियोजित पुंजी पर डीवीसी से देय ब्याज को अपीलार्थी द्वारा रखे जाने के लिए अनमति दी गयी है और इसे वापस पुंजी में जमा कर दिया गया है। इस भाग पर भी, अपीलीय न्यायाधिकरण ने डीवीसी अधिनियम की धारा 38 करने का पालन करने का निर्देश दिया है । हालाँकि, सबसे पहले, यह प्रदान करने के बाद है अपीलीय न्यायाधिकरण ने बाद में पैराग्राफ ई–13 में डीवीसी अधिनियम की धारा 38 के तहत अपना निर्देश दिया है। दूसरा, लिखित रूप में भी इस पहलू को इस रूप में नहीं लिया गया है और किसी भी तरह से, विवरण नहीं दिए गए हैं। इसके अलावा विवादित आदेश के पैराग्राफ 73 में, जो ऋण घटक को कम करने के लिए संचयी मूल्यह्रास को अवैध होने से संबंधित अपीलार्थी की शिकायत को संदर्भित करता है और रखे गए ब्याज को वापस नियोजित किये जाने के रूप में संदर्भित किया जाता है पूंजी परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए पूंजी के रुप में वापस लगाये जाने का संदर्भ दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी

को स्थायी अधिस्थगन का आनंद ले रहा है क्योंकि उसने कभी भी ऋण का भुगतान नहीं किया है और ऋण के लिए मूल्यह्रास के समायोजन का सवाल ही नहीं उठा है। पूंजी के रूप में वापस जुटाए गए ब्याज के संबंध में अधिनियम की धारा 38 के तहत ब्याज नहीं दिए जाने की कोई शिकायत नहीं की गई है।

24. अगला सवाल ऋण घटक को कम करने के लिए संचयी मूल्यह्रास पर विचार करने की वैधता से संबंधित है। अपीलार्थी की शिकायत है कि आयोग और न्यायाधिकरण दोनों ने इस आधार पर ब्याज की गणना की है कि संचयी मूल्यह्रास के परिणामस्वरूप ऋण में कमी होगी जो अस्थिर है। प्रत्यर्थियों द्वारा उठाए गए उसी का उत्तर यह है कि अपीलार्थी के लिए यह तर्क उठाने के लिए अधिकार नहीं है क्योंकि यह तर्क मुकदमे के पहले दौर में अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष नहीं उठाया गया था, जो अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.11.2007 में समाप्त हुआ था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपीलार्थी एनटीपीसी के मामले में पारित अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश से समर्थन चाहता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एनटीपीसी के मामले में अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश में, न्यायाधिकरण ने ऋण को कम करते हुए संचयी मूल्यह्रास को समायोजित करने में छूट दी। जहाँ तक 2007 (3) एस. सी. सी. 33 में इस न्यायालय के निर्णय का संबंध है, वहाँ वास्तव में जो प्रश्न उत्पन्न हुआ वह मूल्यह्रास की दर से संबंधित था। इस न्यायालय ने परिसंपत्तियों को बदलने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बिजली कंपनियों के लिए विचार लिया, मूल्यह्रास की उच्च दर आवश्यक थी क्योंकि इससे परिसंपत्तियों को बदलने के लिए आवश्यक वर्षों की संख्या में कमी आएगी। संयोगवश उसमें किया गया अवलोकन का वह प्रभाव नहीं हो सकता है जिसे अपीलार्थी हमें स्वीकार करने के लिए राजी करना चाहता है। लेकिन सवाल यह होगा कि क्या अपीलार्थी इस अपील में शिकायत उठाने का हकदार होगा। केंद्रीय आयोग द्वारा 3.10.2006 पर पारित मूल आदेश में, आयोग ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया हैः

> 57. याचिकाकर्ता निगम द्वारा उठाए गए अधिकांश ऋण परियोजना विशिष्ट नहीं हैं। 31.3.2004 पर व्यक्तिगत स्टेशन के लिए बकाया मानक ऋण की गणना याचिकाकर्ता निगम के लिए ऋण की भारित औसत ब्याज दर के साथ पूंजी लागत पर 70:30 (जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है) की मानक ऋण–इक्विटी संरचना को लागू करके की गई है। 31.3.2004 पर संचयी मूल्यह्रास या काल्पनिक ऋण राशि, जो भी कम हो, उसे ऋण माना गया है। पुनर्भुगतान और शेष राशि, यदि कोई हो, को पूरी

तरह चुकाये जाने का भुगतान करने की अनुमति दी गई है । वार्षिक मूल्यह्रास राशि को मानक ऋण पुनर्भुगतान के रूप में माना जाता है। याचिकाकर्ता निगम द्वारा दावा किये गये और टैरिफ गणना के लिए अपनायी गयी ब्याज की भारित औसत दर इस प्रकार है:

भारित औसत ब्याज दर की गणना

कुल ऋण	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
प्रारंभिक सकल ऋण	77095	77095	77095	77095	77095
पिछेल वर्ष तक ऋण का संचयी पुनर्भुगतान	6143	14948	22281	29614	39858
प्रारंभिक शुद्ध ऋण	70925	62147	54814	47481	37237
एफ ई आर वी के कारण वृद्धि/कमी	0	0	0	0	0
ए सी ई के कारण वृद्धि/कमी	0	0	0	0	0
कुल	70925	62147	54814	47481	37237
वर्ष के दौरान ऋण का पुनर्भुगतान	8819	7333	7333	10244	5165
शुद्ध ऋण समापन	62133	54801	47468	37224	32059
औसत शुद्ध ऋण	66543	58467	51134	42346	34641
गारंटी शुल्क सहित ऋण पर ब्याज की दर	11.19%	10.67%	10.50%	10.23%	9.56%
ऋण पर ब्याज	7445	6239	5367	4332	3311

25. उसी से असंतुष्ट होकर, अपीलार्थी अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष गया। जाहिर तौर पर, अपीलार्थी के निवेदन पर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा 10 मुद्दों को उठाया गया था। इस न्यायालय के निर्णय 2018 (8) एस. सी. सी. 281 से मामला अंतिम रूप से निर्धारित किया गया है और पैराग्राफ 11 उक्त निर्णय में निर्धारित किया गया है । उक्त निर्णय का अनुच्छेद 11 नीचे दिया गया है:

> 11. तदनुसार, विद्वान अपीलीय न्यायाधिकरण ने निम्नलिखित पाँच दावे अस्वीकार करते हुए और सीईआरसी के आदेश को उपरोक्त गणनाओं पर बरकरार रखते हुए सी. ई. आर. सी. ने अपने द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों के आलोक में नए सिरे से विचार करने के लिए मामले को रिमांड पर लेना उचित समझा, सारणीबद्ध नीचे निकाला गया चार्ट उन पाँच मुद्दों को इंगित करेगा जिन्हें विद्वान अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा बरकरार रखते हुए अंतिम रूप दिया गया।

सी. ई. आर. सी. का दिनांकित 3–10–2006 का आदेश और अन्य पाँच मुद्दे जिन्हें सी. ई. आर. सी. द्वारा पुनर्निर्धारण के लिए रिमांड पर लिया गया हैः

	सी ई आर सी के दिनांक 03/10/2006 के आदेश को यथावत रखते हुये विद्वान अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा मुद्दो को अंतिम रुप दिया गया।		सी ई आर सी द्वारा पुनर्निर्धारण के लिए भेजे गये मुद्दे ।
(i)	इक्विटी पर उच्च प्रतिफल	(i)	2004–2005 और 2005–2006 की अवधि के लिए अतिरिक्त पुंजीकरण
(ii)	मूल्यह्रास दर	(ii)	पेंशन and ग्रैच्युटी योगदान
(iii)	2004 के निर्धारित विनियमों में परिचालन मानदंडों से भिन्न परिचालन मानदंडों को पुनर्रचित करना ।	(iii)	डी वी सी अधिनियम के तहत डी वी सी को राजस्व की अनुमति ।
(iv)	प्रधान क्षेत्रीय कार्यालय और अन्य तकनीकी केंद्रों आदि पर पुंजी के निवेश पर वापसी; और	(iv)	संचालन एवं रख–रखाव व्यय
(v)	उत्पादन परियोजनाऐं वर्तमान में संचालित नहीं हो रही है ।	(v)	ऋण इक्विटी अनुपात

26. उसी का अवलोकन दूसरे विवाद के हिस्से के रूप में उठाए जाने वाले कानून के मूल प्रश्न का सुझाव देता प्रतीत होता है निर्णय के लिए खुला नहीं रहता है।

27. जब मामला मुकदमे के पहले दौर में रिमांड आदेश के अनुसार वापस चला गया, जो इस अदालत द्वारा अपील को खारिज करने के मद्देनजर अंतिम हो गया है, तो केंद्रीय आयोग ने केवल संचयी मूल्यह्रास द्वारा ऋण राशि को कम करके ऋण पर ब्याज की गणना करने की प्रक्रिया को दोहराया है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पहले दौर में अपवाद नहीं लिया गया था जब अपीलार्थी उसी पर अपवाद ले सकता था। यह 31.3.2006 से पहले की अवधि के लिए भी है। मुकदमे के पहले दौर में अनुच्छेद 57 में जो कहा गया है, उसे ध्यान में रखते हुए, ऐसे बिंदु पर जो पहले में अंतिम हो गया है हम यह मानने के लिए राजी नहीं हैं कि अपीलार्थी के लिए यह अनुमत रहेगा कि वह किसी ऐसे मामले के संबंध में उसी मुद्दे को दूसरे दौर में उठाए जो अंतिम रूप प्राप्त कर चुका है। अपीलकर्ता को उक्त बिन्दु पर विचार कराने का अधिकार नहीं है । तदानुसार हम कानून के सवाल का जवाब देने से इनकार करते हैं जो उठाया गया है। उपरोक्त चर्चा का परिणाम यह है कि अपीलार्थी ने हस्तक्षेप का मामला नहीं बनाया है। अपील विफल हो जाती है और खारिज कर दी जाती है। पक्षकार अपना–अपना खर्च उठाएंगे।

देविकागुजराल अपील खारिज

neha yati mishra
II add. Judge to the Court
of Civil Judge Class 1
Raipur(C.G)